राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 77/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1852/2011/जोधपुर)
2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 78/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1853/2011/जोधपुर)
3. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 79/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1854/2011/जोधपुर)
4. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 80/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1855/2011/जोधपुर)
5. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 81/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1856/2011/जोधपुर)
6. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 82/2014/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1857/2011/जोधपुर)

मैसर्स पवन पोलीप्लास्ट प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/04/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा ये संशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 1852/2011 से 1857/2011/जोधपुर में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 21.01.2014 में परिलक्षित भूल बताते हुए सुधार हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

3. उक्त निर्णय में कर बोर्ड की खण्डपीठ ने प्रार्थी व्यवसायी के प्रकरण को कर बोर्ड की खण्डपीठ की अपील संख्या 868–869/2010 के पारित निर्णय दिनांक 12.12.2011 में विवादित तथ्यों के समान तथ्य होने से उस निर्णय से आच्छादित मानते हुए व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की थी। विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील संख्या 869/2010 एवं 412, 413/2010 में जिन आईटम्स को अनुसूची–IV के इन्द्राज संख्या–7 में 4 प्रतिशत माना था वे आईटम उक्त अपीलों में भी थे जिस पर आरोपित अन्तर कर समाप्त किया जाना था परन्तु निर्णय के अन्त में अपील अस्वीकार करना लिखने से अपीलार्थी के उन आईटम्स पर आरोपित अन्तर कर यथावत रह गया है।

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक के कथन की जांच पर पाया कि अपीलार्थी के प्रकरण में पारित आदेश में कर बोर्ड द्वारा निर्णीत अपील संख्या 868/2010 के आदेश से कवर्ड तो माना है परन्तु उस आदेश के निर्णयानुसार मग एवं बेसीन तथा अन्य उल्लेखित वस्तुओं के मामले में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था जबकि इसका उल्लेख किये बिना पूरी अपील अस्वीकार की गयी है जो रिकॉर्ड की स्पष्ट भूल होने से उक्त निर्णय दिनांक 21.01.2014 में यह संशोधन किया जाता है कि इसी कर बोर्ड के इसी ब्रांड के माल सम्बन्धी **सैलो वर्ल्ड** के निर्णय 868/2010 एवं 412/2010 अनुसार उसमें उल्लेखित सामान **'मग'** एवं **'बेसिन'** पर 4 प्रतिशत की कर दर रखते हुए उस पर अन्तर कर एवं ब्याज कम करने हेतु प्रकरण उस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5. फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए उक्त वस्तुओं पर अन्तर कर एवं ब्याज में कमी हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

27.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य